न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1965-I/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ओमती जबलपुर प्रकरण क्रमांक 112/अ–6/2012–13

(1) मोहम्मद अनवर पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीम
(2) मोहम्मद राफिक पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीम
(3) मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीम
(4) हाजी मोहम्मद पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीम

सभी निवासी 2173, घण्टाघर, नेपियर टाऊन, जबलपुर ..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा श्रीमान तहसीलदार नजूल,
अनुभाग ओमती, जबलपुर म.प्र. .....अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण
श्री एच0के0अग्रवाल, अभिभाषक अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 30 जुलाई/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ओमती जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 112/अ–06/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एन.एम.एस. क्रमांक 5 के प्रतिवेदन दिनांक 12.01.1998/226 के द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी

की, प्रतिवेदन के अनुसार सिविल स्टेशन के ब्लॉक/प्लाट 10 में से 25 x 25 = 626 वर्गफुट पर जो खाली नजूल भूमि है, पर पक्का मशीनवाले बाबा का मजार निर्माण हो रहा है। प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस दिया गया एवं स्थगन आदेश जारी किया गया। आवेदक ने उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया, जबाव में बताया है कि उसे 10/1 में जुग्गी-झोपड़ी का पट्टा प्राप्त है एवं धार्मिक कार्य कर रहा है, अतः मजार निर्माण पर लगी रोक हटायी जायी। दिनांक 21.01.1998 को मौहम्मद महमूद खॉन व बाबू खॉ, निवासी पुराना शोभापुर जी.सी.एफ. जबलपुर ने जारी कारण बताओं नोटिस के संबंध में एक जबाव मजार के खादिम के रूप में पेश किया, जिसमें लेख किया गया है कि हजरत बाबा सहादत खॉ व जनाब लाल जो मशीनवाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे सन् 1984 से प्लाट नम्बर 10/1 मकान 2175 में निवास करते थे, मकान 2173, 2174, 2175 एवं 2176 जो क्रमशः मौहम्मद हनीफ, मौहम्मद अनवर, मौहम्मद शाफी एवं मौहम्मद रफीक व अब्दूल अमीर के नाम पर क्रमशः 41.20, 44.64, 21.75, 29.94 वर्गमीटर के पट्टे पर मिली थी। इस जबाव के साथ पेश पट्टों की छाया प्रति से स्पष्ट है कि मौहम्मद शाफी को 31.90 वर्गमीटर, रफीक 29.24 वर्गमीटर, मौहम्मद हनीफ 41.20 वर्गमीटर तथा मौहम्मद अनवर को 31.90 वर्गमीटर के पट्टे जुग्गी-झोपड़ी के योजना के तहत सन् 1984 में दिये गये थे। चारो व्यक्तियों के द्वारा मजार बाबा सहादन खॉन उर्फ मशीनवाले बाबा को हिबा कर दिया और अपने हक , हसूल एवं मालिकाना छोड़ दिया, चारों ने नोटरी के समक्ष इसी आशय का हलफनामा भी पेश किया है। एक मुख्त्यारआम जो सहादन खॉन व लाल खॉन के पक्ष में चारों ने किया है, वह प्रस्तुत किया गया था तथा डिक्लेरेशन भी दिया है। हाजी बाहिद व लाल खॉ एवं हाजी जुबेर व हाजी मौहम्मद, सरीफ के द्वारा मौहम्मद महमूद खॉ, सुरेन्द्र सिंह, विनय उपाध्याय के नाम पर वादग्रस्त पट्टे की भूमि को मजार बनाने के लिए अधिकृत किया है। दिनांक 13.07.1998 को मौहम्मद महमूद खॉ व बाबू खॉ के द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय से दिया है कि वादग्रस्त निर्माण उनके द्वारा दिया जा रहा है, अतः उन्हें पार्टी बनाया जाये एवं उन्हें नोटिस दिया जाये। स्थल निरीक्षण किया गया एवं एन.

एन.एम. से काम की रिपोर्ट ली गयी। जिसमें कुल निर्माण 2784 वर्गफुट पर हो रहा है तथा 1580 वर्गफुट पर झुग्गी, झोपड़ी के पट्टे मिले है तथा शुद्ध शासकीय भूमि 1204 वर्गफुट पर अतिक्रमण है, जो झुग्गी झोपड़ी के पट्टे की शर्त क्रमांक 2, 3 एवं 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि भूमि का स्वरूप, उपयोग बदलेगा एवं अन्तरण होगा तो पट्टा स्वंयमेव निरस्त हो जायेगा। इसलिए चारों पट्टे निरस्त होकर मध्य प्रदेश शासन, नजूल दर्ज हो चुके हैं अर्थात अब अतिक्रमण कुल निर्मित क्षेत्र 2784 पर माना जावेगा। मौहम्मद महमूद खॉ व बाबूलाल ने उसे पार्टी बनाने का दावा पेश किया है, जो स्वीकार किया जाता है। एन.एम.एस. अपने रजिस्टर में सुधार करें। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नजूल जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.1998 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ब्लॉक/प्लाट 10/1 के रकवा 2784 पर मशीनवाले बाबा के मजार, खादिम मौहम्मद, महमूद खॉ व बाबूलाल द्वारा अतिक्रमण कर करायी जा रही है, अतः उस वादग्रस्त भूमि पर से तत्काल बेदखल किया जाकर 1000/–रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया, साथ ही साथ एन.एम.एस. को हिदायत दी गयी कि वह अपने रिकॉर्ड में चारों पट्टे मौहमद शाफी 31.90, मौहम्मद रफीक 29.24, मौहम्मद हनीफ 41.20 तथा मौहम्मद अनवर 31.90 को स्वंयमेव शर्त उल्लंघन के कारण निरस्त हो जाने से, निरस्त कर उक्त भूमि पर मध्य प्रदेश शासन नजूल दर्ज कर साथ ही बेदखली की रिपोर्ट पेश करें। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग ओमती, जबलपुर के समक्ष प्रथम अपील संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 15.05.2013 से खारिज की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग ओमती, जबलपुर के इसी आदेश दिनांक 15–5–2013 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें बताया कि तहसीलदार नजूल, जबलपुर द्वारा जो आदेश दिनांक 05.10.1998 को पारित किया है। उसमें आवेदकगणों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही एवं उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित किया है, अतः

ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में 1985 आर.एन. 423, 1992 आर.एन. 419, 1986 आर.एन. 258, 1978 आर.एन. 161, 2000(1) एम.एल.जे. 229, ए.आई.आर.2000 म.प्र. 92, 1998 आर.एन.321 उच्च न्याया. 1997 आर.एन.361 उच्च न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि आवेदकगणों द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त कर अपने धर्म गुरूओं की याद में मजार का निर्माण किया गया है तथा उपरोक्त भूमि आवेदकगणों को पट्टों पर प्रदान की गयी थी, जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पट्टों को स्वतः ही निरस्त नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य एवं निर्माण विधि के अनुरूप है इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये। आवेदकगण की ओर से अपने तर्क में यह भी बताया है कि शासन द्वारा आवेदकगणों के द्वारा कराये गये निर्माण कार्य जांच करवायी गयी है, जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि आवेदकगण का पूर्ण निर्माण वैध है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं किया है, किन्तु विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किये हैं, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्को में यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच कर आदेश पारित किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर आवेदकगण की वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्य अध्ययन किया गया। प्रकरण में अवलोकन से स्पष्ट है कि

तहसीलदार नजूल, जबलपुर द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, उसमें सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही उन्हें सूचना एवं सुनवाई का विधिवत अवसर ही दिया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत 2000(1) एम.एल.जे. 229, ए.आई.आर. 2000 म.प्र. 92, 1998 आर.एन.321 उच्च न्याया. 1997 आर.एन.361 उच्च न्याया. वर्तमान प्रकरण में लागू होते हैं। जहां तक अपीलीय न्यायालय के आदेश का प्रश्न है, तो अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि आवेदकगणों के हितों में झुग्गी, झोपड़ी योजना के अन्तर्गत सन 1984 में दिये गये पट्टे बिना किसी समक्ष प्राधिकारी के आदेश के स्वतः ही निरस्त नहीं सकते, क्योंकि पट्टेधारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई भी आदेश उनके विपरीत पारित नहीं किया सकता। क्योंकि दिये गये पट्टों से पट्टेधारियों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गये है और किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को बिना किसी कारण के समाप्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर न्यायालयों द्वारा विचार ही नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उनका आदेश स्थिर रखे जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग ओमती, जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2013 एवं तहसीलदार नजूल, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.1998 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर